

अधिसूचना

दिनांक- 28/12/2005

अधिसूचना संख्या- २७६५ भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार पेंशन नियमावली, 1950 में संशोधन करते हुए निम्नांकित नियम बनाते हैं, यथा :-

1. यह नियमावली बिहार पेंशन(संशोधन) नियमावली 2005 कही जायेगी ।
2. यह दिनांक-01.09.2005 से प्रभावी होगी ।
3. उक्त नियम में:-

बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 2 के नीचे निम्नलिखित उप नियम-2 (क) जोड़ा जायेगा:-

“2(क)- ये नियम राज्य सरकार के वैसे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे जिनकी नियुक्ति दिनांक-01.09.2005 या उसके पश्चात् हुई है ।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से

*X/मृ/म  
(के० एम० शर्मा)*  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप संख्या- विं(27)पै0को0-53/04-२७६५ पटना दिनांक- 28/12/2005

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

*X/मृ/म  
(के० एम० शर्मा)*  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप संख्या- विं(27)पै0को0-53/04-२७६५ पटना दिनांक- 28/12/2005

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक /निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/सभी समाहर्ता/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी समादेष्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

*X/मृ/म  
(के० एम० शर्मा)*  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप संख्या- विं(27)पै0को0-53/04-२७६५ पटना दिनांक- 28/12/2005

प्रतिलिपि- संयुक्त आयुक्त लेखा प्रशासन, पंत भवन, पटना/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

*X/मृ/म  
(के० एम० शर्मा)*  
सरकार के संयुक्त सचिव ।